सत्यमेव जयते

खंड ७ संख्या १

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

सोमवार, तिथि १४ फरवरी, १९५५ ।

Vol. VII No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report

Monday, the 14th February, 1955.

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार,
पटना, द्वारा मुद्रित,
१९५५ ।

[मूल्य—६ आना ।]
[*Price—Annas 6.*]

बिहार विधान सभा वादवृत्त ।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एक विधान सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि ४ मार्च, १९५५ को ९ बजे, पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ ।

अल्पसूचना प्रश्नोत्तर ।

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

अध्यक्ष—आज के कार्यक्रम का काल इस प्रकार रहेगा । ९ बजे से साढ़े बारह बजे तक और फिर पौने दो बजे से ६ बजे तक ।

AGRICULTURAL LOAN

31. Shri KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD : Will the Revenue Minister be pleased to state—

(*a*) whether it is a fact that Parmeshwari Kumar and Gajadhar Prasad Kumar of Jhaldapur, P.-S. Bihpur, district Bhagalpur, applied in February, 1954 for Agricultural Loan to purchase tractors ;

(*b*) whether it is a fact that the C. O., Naugachhia, took complete 10 months in submitting his report on the said application ;

(*c*) whether it is a fact that the said application has been lying in the Registration Office, Bhagalpur, for encumbrance report for the last 2 months ;

(*d*) the reasons of this abnormal delay ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : (*a*) The applications of Shri Parmeshwari Prasad Kumar and Shri Gajadhar Prasad Kumar were filed on 20th April, 1954 and not in February, 1954.

(*b*) There was abnormal delay on the part of the Circle Officer, Naugachhia and Government have taken notice of the same.

(*c*) and (*d*) The applications were received from Circle Officer, Naugachhia on 21st December, 1954 and were sent to District Sub-Registrar, Bhagalpur on 23rd December, 1954 for verification of encumbrance for the last 12 years. They have been received and sent to the Sub-Registrar, Bihpur on 24th February, 1955 for report for the current year. There are a large number of loan

applications for verification of encumbrance and the search is being made serially. Preference is given to cases in which requisite searching fee is deposited.

Shri KUMAR RAGHUNANDAN PRASAD: Do Government regret this abnormal delay?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: Whatever expression be given for my feeling in this matter by the hon'ble member.

नाजायज पैसे की वसूली।

२८। श्री राम किशुन सिंह—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सरकार ने सेस बाकी के सम्बन्ध में जिसका तौजी नं० ५५०६, तफरीक नं० २, महाल सिमरी, थाना बारसलीगंज, जिला गया, रामकी सिंह, वल्द पारो सिंह, ग्राम सिमरी पर असल रु० १५५≡)।, सूद रु० ४४।।।)।।।, खर्चा रु० ४९।।, कुल रु० २४९।। का सर्टिफिकेट जारी किया है, सर्टिफिकेट नं० ३७७, १९५२-५३ तथा सेक्शन १६ है;

(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त व्यक्ति के नाम से उपरोक्त तौजी में कोई भी हिस्सा नहीं है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त सर्टिफिकेट को वापस लेने की आज्ञा देना चाहती है, यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यक्ति के नाम से तथा कथित मौजा का कागजात सभा के समक्ष रखेगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) तीन सर्टिफिकेट सेल्स केस सेस की वसूली करने के लिये १५५ रु० ३ आ० ९ पा० के लिये जिसका तौजी नम्बर ५५०६ है कई व्यक्तियों के विरुद्ध में फाइल हुआ था। सर्टिफिकेट डेटर के एक प्रतिनिधि ने यह रिपोर्ट दी कि रामकी ग्राम सिमरी के कब्जे में यह तौजी है शायद इसी आधार पर रामकी सिंह, वल्द पारो सिंह सर्टिफिकेट डेटर की सूची में बिना सर्टिफिकेट अफसर के हुक्म से सर्टिफिकेट आफिस में जोड़ दिया गया।

(ख) कोई कागज कलक्टर के ऑफिस में नहीं है जिसमें श्री रामकी सिंह का सम्बन्ध इस परवाना से जोड़ दिया जाय।

(ग) सर्टिफिकेट अफसर ने सर्टिफिकेट डेटर की सूची से श्री रामकिशुन सिंह के नाम को हटा दिया। जैसे ही यह गलती उनके नजर में आयी जिस किरानी ने यह गलती की थी उसके बरखिलाफ कारंवाई की जा रही है।

श्री राम किशुन सिंह—क्या सरकार को पता है कि राम किशुन के नाम से भी नहीं है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—दोनों में किसी के नाम से नहीं है।